


उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०
पर्यटन भवन, तृतीय तल, सी-१३, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आवेदन पत्र का प्रारूप

फर्म द्वारा चयनित पर्यटन परिक्षेत्र का नाम.....

- 1- फर्म का नाम
- 2- कार्यालय का पता एवं दूरभाष सं०
- 3- ठेकेदार/फर्म के राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, प्राधिकरण, निगम, परिषद में पंजीकरण का विवरण।
- (क) जिस विभाग में पंजीकरण हो उसका नाम एवं पता।
- (ख) पंजीकरण संख्या एवं तिथि
- (ग) वर्तमान में पंजीकरण की वैधता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
- 4- व्यापार कर विभाग में पंजीकरण संख्या, (दिन सं०) तिथि, जनपद, क्षेत्र का विवरण एवं वर्तमान में पंजीकरण की वैधता। (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।)
- 5- आयकर विभाग की स्थाई पंजीयन के प्रमाण हेतु फर्म का पैन/सर्विस टैक्स नं० (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।)
- 6- फर्म के स्वामी का नाम एवं पता
- 7- फर्म के अधिकृत कार्यकारी का नाम एवं पता
- 8- ठेकेदार/फर्म द्वारा विगत चार वर्षों में सम्पादित कराये गये (सिविल/इलेक्ट्रीकल सम्बन्धी) कार्यों का विवरण।

| क्र०सं० | कार्य का विवरण | कार्य का स्वरूप (सिविल/इलेक्ट्रीकल) | सम्बन्धित विभाग का नाम | कार्य की लागत |
|---------|----------------|--|---------------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


प्रभारी परियोजना
 उ०प्र०रा०प०वि०नि०लि०

| क्र०सं० | कार्य का विवरण | कार्य का स्वरूप (सिविल / इलेक्ट्रिकल) | सम्बन्धित विभाग का नाम | कार्य की लागत |
|---------|----------------|--|---------------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 9- फर्म के पास उपलब्ध उपकरण / मशीन का विवरण
- 10- ठेकेदार / फर्म द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अध्यावधिक हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित प्रमाण पत्र का विवरण।
- (क)- जनपद का नाम
- (ख)- निर्गत होने की तिथि
- (ग)- वैधता की तिथि
- 11- ठेकेदार / फर्म द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में रू०-25000.00 (रूपया पच्चीस हजार मात्र) बैंकर चेक / ड्रापट का विवरण जो (उ०प्र०राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाये)
- (क) बैंक / ड्रापट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता
- (ख) चेक / ड्रापट सं० एवं तिथि
- 12- ठेकेदार / फर्म को किये गये कार्य के सापेक्ष पुरस्कार / पारितोषिक / प्रशंसापत्र का विवरण (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाय)

.....
(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)
सील / मुहरसहित

घोषणा


मेरे / हमारे द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचनाये एवं विवरण (प्रमाण पत्र आदि) सत्य है। यदि कोई सूचना / विवरण (प्रमाणपत्र आदि) गलत / त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरा / हमारा आवेदन निरस्त करने का अधिकार उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के पास होगा।

.....
(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)


 प्रभासी परियोजना
 उ०प्र०रा०प०वि०नि०लि०
 लखनऊ

शर्तें

1. आवेदक (ठेकेदार/फर्म) को न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व राज्य/केन्द्र सरकार की विभागों, प्राधिकरण, निगम, परिषद में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में पंजीकरण की वैधता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. ठेकेदार/फर्म को व्यापार कर विभाग में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में पंजीकरण की वैधता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. आयकर पंजीयन के प्रमाण हेतु फर्म का पैन/टिन न0 तथा सर्विस टैक्स का प्रमाण।
4. आवेदक (ठेकेदार/फर्म) द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम रू0-150.00 लाख की लागत का निर्माण कार्य सुचारु रूप से सम्पादित कराया गया हो।
5. विभिन्न सरकारी विभागों/प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण से सम्बन्धित (सिविल/इलेक्ट्रिकल वर्क्स) निष्पादित किये गये कार्यों से सम्बन्धित कार्यादेश की प्रमाणित प्रति एवं सिविल तथा इलेक्ट्रीकल वर्क से सम्बन्धित उपलब्ध इक्यूपमेन्ट्स, टूल्स एवं मैन पावर का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक (ठेकेदार/फर्म) जिस मण्डल की इकाईयों में अनुरक्षण/रखरखाव सम्बन्धी कार्य करने हेतु इच्छुक हो उस पर्यटन परिक्षेत्र का नाम मोहरबन्द लिफाफे पर अवश्य अंकित करे।
7. निर्धारित आवेदन पत्र पर अपूर्ण सूचनाये होने पर इम्पैनलमेन्ट हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
8. इच्छुक ठेकेदार/फर्म आवेदन पत्र रू0-1000.00 नगद जमा कर पर्यटन भवन के तृतीय तल स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
9. इच्छुक ठेकेदार/फर्म को आवेदन पत्र मोहरबन्द लिफाफे में समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में फर्म/ठेकेदार का नाम, पता एवं दूरभाष सं0 अंकित कराना होगा।
10. इम्पैनलमेन्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक के लिये मान्य होगा। आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बढ़ाये जाने हेतु निगम प्रबन्ध द्वारा पृथक से विचार किया जा सकता है।
11. आवेदन पत्र पर्यटन निगम कार्यालय से प्राप्त करने की तिथि ~~30 जून 2017~~ ^{30 जून 2017} एवं जमा करने की तिथि **02 जुलाई 2017** है।
12. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. इच्छुक ठेकेदार/फर्म को आवेदन के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (कम से कम पांच लाख रूपया का) एवं अध्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. आवेदन पत्र के साथ ठेकेदार/फर्म को प्रतिभूति राशि के रूप में रू0-25000.00 का बैंकर चेक/ड्राफ्ट जो उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
15. उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पास विना कारण बताये किसी भी अथवा समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।


प्रभारी परियोजना
उ०प्र०रा०व०वि०नि०लि०
लखनऊ